भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 920

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अस्पताल और औषधालय

920. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयुष औषधालयों को डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्यागिकियों और अवसंरचना से लैस करते हुए उनके आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन हेतु औषधालयों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना की गई अथवा उनका उन्नयन किया गया है;

(ग) क्या इनकी स्थापना अथवा उन्नयन में कोई विलंब हुआ अथवा समस्याएं आई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन उन्नत औषधालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और

(च) सरकार द्वारा आयुष औषधियों और चिकित्सा के व्यापक स्वीकार्यता हेतु इन्हें विधिमान्य और मानकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और अवसंरचना के साथ आयुष औषधालयों का आधुनिकीकरण या उन्नयन महाराष्ट्र राज्य सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालाँकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों के उन्नयन और नए आयुष औषधालय स्थापित करने के लिए भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार हर साल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करके इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकती हैं।

(ख) और (ग); एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित और उन्नत आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या

क्रमशः **संलग्नक-I** और **संलग्नक-II** पर दी गई है। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए चुनौतियों यदि कोई हो, का समाधान करने के उपरांत, आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना या उन्नयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

(घ): आयुष औषधालयों/उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन द्वारा एनएएम के तहत संचालित 12253 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में से 2005 इकाइयों का निरीक्षण अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया गया और 1039 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को एनएबीएच आयुष प्रवेश स्तर प्रमाणन (एईएलसी) प्रदान किया गया है।

(ङ): आयुष मंत्रालय राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के अनुसार आयुष सेवाओं के लिए अवसंरचना के प्रचार और विकास के लिए एनएएम के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनएएम के दिशानिर्देश आयुष मंत्रालय की वेबसाइट यानी http:ayush.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(च): केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की है, जिसके तहत संबंधित फार्माकोपिया समितियां आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के सत्यापन एवं मानकीकरण सहित गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिए काम कर रही हैं।

*****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022 से 2023-2024 तक	
		आयुष अस्पताल	आयुष औषधालय
1	अरुणाचल प्रदेश	5	2
2	असम	6	100
3	छत्तीसगढ	1	0
4	दादरा नागर हवेली और दमन व दीव	1	0
5	गोवा	1	0
6	गुजरात	1	0
7	जम्मू-कश्मीर	2	11
8	झारखंड	6	0
9	कर्नाटक	1	0
10	केरल	8	0
11	**महाराष्ट्र**	**5**	**0**
12	मणिपुर	7	8
13	मध्य प्रदेश	6	0
14	मेघालय	1	10
15	मिजोरम	1	0
16	नागालैंड	3	0
17	राजस्थान	2	0
18	सिक्किम	1	0
19	तमिलनाडु	2	1
20	तेलंगाना	3	0
21	उत्तर प्रदेश	5	250
22	उत्तराखंड	4	0

संलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उन्नत किये गये आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022 to 2023-2024			
		आयुष अस्पतालों का उन्नयन		आयुष औषधालयों का उन्नयन	
		आवर्ती इकाइयों अस्पतालों की संख्या	गैर-आवर्ती इकाइयों अस्पतालों की संख्या	आवर्ती इकाइयों औषधालयों की संख्या	गैर-आवर्ती इकाइयों औषधालयों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	3	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0
4.	असम	0	2	0	0
5.	बिहार	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	16	16
7.	छत्तीसगढ़	12	0	0	110
8.	दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव	2	0	0	0
9.	दिल्ली	0	0	0	0
10.	गोवा	0	0	0	0
11.	गुजरात	156	6	474	122
12.	हरियाणा	2	0	322	0
13.	हिमाचल प्रदेश	5	5	469	6
14.	जम्मू-कश्मीर	8	2	285	20
15.	झारखंड	10	0	0	0
16.	कर्नाटक	241	2	0	14
17.	केरल	492	48	5163	61
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	23	0	0	38
20.	महाराष्ट्र	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	मणिपुर	4	0	1	50
22.	मिजोरम	7	0	0	0
23.	मेघालय	3	0	0	0
24.	नागालैंड	0	0	0	1
25.	ओडिशा	0	0	0	0
26.	पुद्दुचेरी	0	0	0	0
27.	पंजाब	0	0	0	0

28.	राजस्थान	221	0	3703	0
29.	सिक्किम	2	0	0	0
30.	तमिलनाडु	8	8	0	0
31.	तेलंगाना	0	0	0	0
32.	त्रिपुरा	5	4	187	0
33.	उत्तर प्रदेश	0	44	0	582
34.	उत्तराखंड	41	0	9	161
35.	पश्चिमी बंगाल	0	0	1339	88
	कुल	**1246**	**121**	**11968**	**1269**